शून्य फरमाते हुए रेस्पोडेन्ट संख्या एक को निर्देश फरमाये जावे कि नामान्तरकरण संख्या 1490 दिनांक 11/5/2017 को पुनः सही जाँच करते हुए मृत्क नीलम माधवानी के एक मात्र जीवित वारिस अपीलार्थी के नाम भरकर खाता संख्या 100 वाके ग्राम आमलोदा तहसील विराटनगर के खसरा नम्बर 515/0.22 का खातेदार दर्ज किया जावें। इस आशय की अपील स्वीकार फरमायी जावें।

अपीलान्ट द्वारा जरिये वकील अपील प्रस्तुत होने पर रिपोर्ट सरिस्ता ली गयी अपील सही समात पाये जाने पर प्रकरण दर्ज कर रेस्पोडेन्ट को विधिवत तल्बी हेतु सम्मन नोटिस जारी किये जो बाद तामील सम्मन नोटिस पत्रावली संलग्न है।

उभयपक्षों की बहस सुनी गयी वकील अपीलान्ट का कथन है कि उक्त नामान्तरकरण 1490 फौतगी का दिनांक 11/5/2017 को भरा गया जिसमें जांच के समय यह लिखकर खारिज कर दिया की वारिसों की जांच नहीं की गयी है इनके वारिस दिल्ली रहते है जबकि अपीलान्ट के अलावा ओर कोई जिवित वारिसान् मृत्क नीलम माधवानी के नहीं है। मृत्क नीलम के एक पुत्र गोरव माधवानी अविवाहित था, जिसकी भी मृत्यु दिनांक 17/01/2004 को ही हो चुकी थी इसके अलावा मृत्क नीलम माधवानी के कोई जिवित सन्तान नहीं है। केवल मात्र अपीलान्ट महेश कुमार माधवानी है। इसके नाम से ही नामान्तरकरण खोला जावें।

पैरोकार सरकार तहसीलदार विराटनगर का कथन है कि उक्त नामान्तरकरण फौतगी का भरा गया है, जिसमें सही वारिसान् के जांच पडताल करने के उपरान्त ही नामान्तरकरण स्वीकार किया जा सकता है। मृत्क दिल्ली की निवासी है। वारिसान् की पुष्टि नहीं होने पर नामान्तरकरण खारिज किया गया है, जो सही किया है।

हमने उभय पक्षों की बहस सुनी पत्रावली का अवलोकन किया अवलोकन करने से पाया कि ग्राम आमलोदा दूदी के खसरा नम्बर 515 रकबा 0.22 हैक्टर बारानी तहसील विराटनगर मुताबिक जमाबंदी सम्वत् 2073–2076 से नीलम माधवानी पत्नी महेश कुमार माधवानी जाति ब्रहमण निवासी बी–1/384 जनकपुरी नई दिल्ली के नाम राजस्व रिकॉर्ड में अंकन है। उक्त नामान्तरकरण संख्या 1490 ग्राम आमलोदा दूदी फौतगी का भरा जाकर राजस्व अभियान में दिनांक 11/5/2017 को खारिज हुआ है। वकील अपीलान्ट का कथन है कि मृत्क नीलम माधवानी के अपीलान्ट के अलावा कोई अन्य जिवित वारिसान् नहीं है। एक मात्र पुत्र गोरव माधवानी अविवाहित था, जिसकी भी मृत्यु 17/01/2004 को हो चुकी है। अतः अपीलान्ट के नाम से राजस्व रिकॉर्ड में नाम अंकन किया जावें। रेस्पोडेन्ट पैरोकार सरकार का कथन है कि मृत्क नीलम माधवानी दिल्ली की निवासी थी इसकी वारिसान् की पूर्ण जांच पडताल कर व सही जांच करने के उपरान्त ही विरास्त का नामान्तरकरण स्वीकार किया जा सकता है। उक्त नामान्तरकरण संख्या 1490 दिनांक 11/5/2017 वाके ग्राम आमलोदा डुदी अपास्त किया जाकर तहसीलदार विराटनगर जिला जयपुर को प्रकरण प्रति प्रेषित (रिमाण्ड) किया जाकर आदेश है कि मृत्क नीलम माधवानी के समस्त वारिसान् की पूर्ण जाँच कर विधिवत समुचित सुनवायी कर पुनः विधि सम्मत निर्णय पारित करें।

निर्णय आज दिनांक 23.10.18 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर सरे इजलास खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

अतिरिक्त जिला कलक्टर
कोटपूतली (जयपुर)

अति. जिला कलक्टर
कोटपूतली (जयपुर)